अनुसूची-१४ -फारम सं0 ५६२

आदेश-पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १९४१ का नियम १२९)

न्यायालय जिला दण्डाधिकारी-सह-समाहर्ता,सारण,छपरा।

आपूर्ति अपील सं0- 141/2012

देवन्ती देवी

बनाम

सरकार (मार्फत अनु0 पदा,मढौरा,सारण)

आदेश का क्रम-संख्या और तारीख।	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर।	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में पेशी, तारीख-सहित
13.08.2015	यह अपील वाद अनुमंडल पदाधिकारी,मढौरा,सारण के ज्ञापांक 3451, दिनांक 18.10.2012 के विरूद्ध दाखिल है। उक्त वाद का संक्षिप्त इतिहास यह है कि दिनांक 05.09.2012 को मो0 राशिद आलम, विशेष कार्य पदाधिकारी,खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग,पटना एवं श्री मिथिलेश कुमार सिंह, पणन पदाधिकारी,मुख्यालय(सचिवालय),पटना के द्वारा संयुक्त रूप से देवन्ती देवी, ज0वि0प्र0वि0 अनु0सं0 94/07, पंचायत-बहरौली, प्रखंड-मशरक की दूकान की जांच की गई। जांच के क्रम में निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई- 1. सूचना पट्ट एवं मूल्य भण्डार प्रदर्शन पट्ट आंशिक रूप से संधारित था। 2. निरीक्षण के समय अनुज्ञाप्तिधारी अनुपस्थित। 3. दूकान पर लाभुकों की सूची पर खाद्यान्न का संयुक्त नमूना प्रदर्शित नही। 4. निरीक्षण/ शिकायत पुस्तिका संधारित नहीं पाया गया। 5. विकेता के द्वारा राशन/किरासन के उठाव की सूचना भण्डार का सत्यापन एवं वितरण का सत्यापन निगरानी/ अनुश्रवण समिति को नहीं करायी जाती है। 6. निरीक्षण के समय भंडार में 6 क्विंटल चावल, 4 क्विंटल गेहूँ	

एवं 120 लीटर किरासन तेल कम पाया गया।

7. विक्रेता के दूकान से संबद्ध उपभोक्ताओं ने बयान दिया है कि उन्हें निर्धारित मात्रा से कम मात्रा में राशन/किरासन उपलब्ध कराया जाता है, तथा किरासन तेल वितरण में निर्धारित मूल्य से 02 रू0 अधिक राशि की वसूली की जाती है।

उक्त अनियमितताओं के लिए अनुमंडल पदाधिकारी, मढौरा, सारण के ज्ञापांक 2987, दिनांक 15.09.2012 के द्वारा विक्रेता से स्पष्टीकरण पूछा गया। विक्रेता के द्वारा अपना जवाब दिया गया। प्राप्त जवाब को असंतोषजनक पाकर अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा विक्रेता की अनुज्ञप्ति रद्द कर दी गयी, जिसके विरूद्ध यह अपील वाद लाया गया है।

अपीलार्थी अपने विज्ञ अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए। सुनवाई की गई। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि विक्रेता के द्वारा निर्धारित अवधि 2 बजे तक दूकान खोलकर उसका संचालन किया गया। जांच पदाधिकारी उसके बाद 3 बजे अपराहन् में दूकान पर पहूँचे। उस वक्त विक्रेता कुछ काम से मशरक चली गयी थी। विक्रेता का सूचना पट्ट एवं मूल्य भंडार प्रदर्शन पट्ट विधवत तरीके से संधारित था, उपभोक्ताओं की सूची भी प्रदशित थी, खाद्यान्न का संयुक्त नमूना भी प्रदर्शित था, लेकिन विक्रेता की अनुपस्थित की वजह से जांच पदाधिकारी उसे नहीं देख एाए होगें। विक्रेता के द्वारा विभागीय दिशा निर्देश के आलोक में निर्धारित दर पर निर्धारित मात्रा में कूपन के आधार पर निगरानी समिति के सदस्यों के समक्ष अनुदानित सामग्री का उपभोक्ताओं के बीच वितरण किया जाता है। उसके विरूद्ध ग्रामीण राजनीति की वजह से कुछ लोगों के द्वारा दुर्भावना से प्रेरित होकर शिकायत की गई। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा अनुज्ञापन पदाधिकारी के प्रश्नगत आदेश को निरस्त करते हुए अपीलार्थी के अपील आवेदन को स्वीकृत करने का अनुरोध किया गया।

विज्ञ सरकारी अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि विक्रेता के विरूद्ध उपभोक्ताओं के द्वारा की गई शिकायतों से प्रतीत होता है कि विक्रेता के द्वारा विभागीय दिशा निर्देश के प्रतिकूल आचरण करके गंभीर अनियमितताएं बरती गई है, जिसके लिए उनका अपील आवेदन

अस्वीकृत किया जाना उचित होगा।

उभय पक्षों को सुनने एवं अभिलेख में रक्षित कागजातों के परिसीलन के उपरांत मैं यह पाता हूँ कि अपीलार्थी के विरूद्ध उपभोक्ताओं के द्वारा गंभीर आरोप लगाए गए है। काफी संख्या में उपभोक्ताओं के द्वारा विकेता के विरूद्ध दिया गया लिखित बयान यह सिद्ध करता है कि विकेता के द्वारा गंभीर अनियमितताएं बरती गई है। अपीलार्थी के द्वारा बिहार सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2001 के प्रावधानों, अनुज्ञप्ति की शर्तो एवं विभागीय दिशा निर्देशों का स्पष्ट रूप से उल्लंधन किया गया है। अतः ऐसी स्थिति में, मैं अनुज्ञापन पदाधिकारी के प्रश्नगत आदेश (ज्ञापांक 3451, दिनांक 18.10.2012) में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता महसूस नहीं करता हूँ। अपीलार्थी के द्वारा दाखिल अपील आवेदन दिनांक 16.11.2012 को अस्वीकृत किया जाता है।

वाद निष्पादित।

लेखापित एवं संशोधित

जिला दण्डाधिकारी,
सारण,छपरा।

जिला दण्डाधिकारी,
सारण,छपरा।

ज्ञापांक 35/मु(प)/न्या0, दिनांक 22/8/15

प्रतिलिपिः- अनुमंडल पदाधिकारी, मढौरा,सारण को अभिलेख मूल में संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः- जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, एन0आई0सी0, सारण, छपरा को उक्त आदेश इस जिले के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु निदेशानुसार प्रेषित।

वरीय उप समाहर्ता
जिला विधि शाखा
सारण, छपरा।
22/8/15